संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश
पर्यावरण परिसर ई–5 अरेरा कालोनी, भोपाल
E-mail: mptownplan@mp.gov.in PH - 0755-2427096

क्रमांक/2545/सा./नग्रानि/2022 भोपाल, दिनांक 14/6/22

शासकीय अनुपयोगी वाहन के विक्रय हेतु निविदाएं आमंत्रित

क्र.	वाहन क्रमांक	वाहन का प्रकार	मॉडल	स्थान जहाँ वाहन उपलब्ध है	आफसेट प्राईज	धरोहर राशि
1	**MP-02 3153**	मारूति 800	1997	संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश पर्यावरण परिसर, ई–5 अरेरा कालोनी भोपाल, मध्यप्रदेश	15000.00	3000.00

अनुपयोगी वाहन का अवलोकन कार्यालय दिवसों में विज्ञापन प्रकाशित तिथि से प्रातः 11.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक संचालनालय भवन में किया जा सकता है। निविदा फार्म एवं निविदा शर्तों का प्रपत्र संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश, भोपाल के सामान्य कक्ष से निर्धारित मूल्य रूपये 500/– (शब्दों में रूपये पांच सौ मात्र) का भुगतान आनलाइन किया जाकर दिनांक 27/06/2022 को अपरान्ह 01.00 बजे तक क्रय किया जा सकेगा। निविदाएं संचालनालय में सामान्य कक्ष में दिनांक 27/06/2022 को अपरान्ह 02.00 बजे तक निविदा बाक्स में प्रतिभूति राशि रूपये 3000/– बैंक ड्राफ्ट के साथ प्राप्त की जावेगी। बिना प्रतिभूति राशि के प्रस्तुत निविदा अस्वीकार कर दी जावेगी। निविदायें यथा संभव उसी दिन अपरान्ह 3.00 बजे निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश के सभाकक्ष में खोली जायेगी। यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त/खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है या किसी कारण वश निविदा नहीं खोली जाती है तो अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जाएगी। निविदा स्वीकार एवं अस्वीकार करने का अधिकार संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश को होगा। इस संबंध में विस्तृत जानकारी संचालनालय की वेबसाईट **www.mptownplan.gov.in** पर भी देखी जा सकती है ।

(सी.के.साधव)
संयुक्त संचालक (स्था.)
वास्ते– संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल

निविदा संबंधी शर्ते

1. निविदा संबंधी फार्म प्रकाशन दिनांक से अपरान्ह 01.00 बजे तक कार्य दिवस में ही लिये जा सकेंगे तथा निविदायें दिनांक 27/06/2022 को अपरान्ह 02.00 बजे तक स्वीकार की जावेगी, एवं निविदायें उसी दिन निविदाकर्ताओं की उपस्थिति में संचालनालय की गठित समिति द्वारा सभा कक्ष में अपरान्ह 03.00 बजे खोली जायेगी ।
2. प्रपत्र का निर्धारित मूल्य रू. 500/– रखा गया है। जिसकी राशि निविदा कर्ता को वापस नहीं की जाएगी।
3. विकय प्रपत्र संचालनालय के भण्डार कक्ष से आनलाइन रू. 500/– (0217–60–800–0171) मद में भुगतान की चालान प्रति प्रस्तुत कर प्राप्त की जा सकती है।
4. यदि किसी कारणवश निविदा प्राप्त/खोलने हेतु निर्धारित तिथि को अवकाश घोषित हो जाता है या किसी कारणवश निविदा नहीं खोली जाती है तो अगले कार्य दिवस में निविदा खोली जाएगी।
5. उक्त वाहन के लिये राशि रूपये 3000/– (अक्षरी राशि रूपये तीन हजार मात्र) की अमानत/धरोहर राशि निविदा के साथ प्रेषित की जायेगी। राशि बैंक ड्राफट के जरिये संचालक,नगर तथा ग्राम निवेश,मध्य प्रदेश के नाम से देय होगी। इस जमा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। बैंक ड्राफ्ट केवल स्टेट बैंक आफ इंडिया के ही स्वीकार किये जायेंगे।
6. निविदा सीलबंद लिफाफे में ''संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्य प्रदेश'' को संबोधित कर प्रस्तुत की जावेगी । लिफाफे के ऊपर '' वाहन कमांक– MP02-3153 हेतु निविदा'' अंकित किया जांना अनिवार्य होगा।
7. कय किये जाने वाले वाहन की पूर्ण राशि जमा करते समय प्रतिभूमि की राशि समायोजित कर दी जायेगी। निविदा स्वीकार होने की स्थिति में संपूर्ण धनराशि का भुगतान सूचना के सात दिन के भीतर स्वीकृत निविदाकार को करना होगा अन्यथा प्रतिभूमि राशि राजसात कर ली जायेगी । निविदा राशि शब्दो व अंको में की जाना आवश्यक होगा। अपूर्ण निविदायें मान्य नहीं होगी।
8. वाहन जहॉ पर जैसी हालत में है, वहीं से उठाना होगा। निविदा राशि अंकों व शब्दों में अंकित करना होगा। राशि अंकन में किसी प्रकार का काट–छांट व सुधार होने की दशा में निविदा मान्य नहीं होगी।
9. विकय किये जाने वाले वाहनों पर विकय कर देय नहीं होगा।
10. निविदा लिफाफे पर वाहन कमांक अंकित करना आवश्यक होगा। अपूर्ण निविदा फार्म मान्य नहीं होंगे। इस संबंध में नीलामी के लिये गठित समिति का निर्णय अंतिम होगा। अमानत की राशि नीलामी की कार्यवाही सम्पादित होने के पश्चात 07 दिन के भीतर प्राप्त करना होगी अन्यथा प्रतिभूति राशि राजसात कर ली जायेगी। वाहन उठाते समय नंबर प्लेट खोलकर ही दिया जायेगा।
11. निविदा स्वीकृति पश्चात केता को परिवहन विभाग से वाहन का नया पंजीयन कमांक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। किसी भी स्थिति में शासकीय वाहन कमांक का प्रयोग केता द्वारा नहीं किया जावेगा।
12. आवेदन का निर्धारित प्रारूप इस संचालनालय के कय किये गये निविदा फार्म पर ही मान्य होंगे।
13. निविदा के संबंध में किसी भी प्रकार का संशोधन केवल वेबसाईट पर जारी किया जावेगा।

(सी.के.साधव)
संयुक्त संचालक(स्था.)
वास्ते– संचालक,
नगर तथा ग्राम निवेश
म.प्र.भोपाल